न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 73/2019

उनवान

1. हीरा पत्नी रामा,
2. सूरजकरण,
3. सत्यनारायण पि0 रामा जाति खाती नि0 भटियानी, नसीराबाद

—— वादीगण :– जरिये अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. महेन्द्र पुत्र रामा जाति खाती नि0 भटियानी, नसीराबाद,
2. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद,

—— प्रतिवादीगण :– 1 अनुपस्थित
2 जरिये राज. पैरोकार

3. संतोष पुत्री रामा,
4. मनीष पुत्र रामा,
5. फूमा,
6. धनराज,
7. जयकुवंरी,
8. छाउ पुत्री रामा,
9. करमा पुत्र रामा जाति खाती नि0 भटियानी, नसीराबाद

—— प्रफोर्मा प्रतिवादीगण :– 3 से 9 अनुपस्थित

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188, 92ए रा0 का0 अधि0 1955

–: निर्णय :– दिनांक :– 1.7.24

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भटियानी के हाल खसरा नम्बर 2815/0.30, 2816/0.20, 2817/1.02, 2818/0.80 की आराजी में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 9 की सह खातेदारी की है। आराजी मुतनाजा पर उभयपक्ष पुश्तैनी समय से काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रतिवादी संख्या 1 बिना किसी अधिकार व विभाजन के उक्त आराजी को बैचान/हस्तांतरण करने पर आमादा है। तथा वादीगण का हिस्सा हडपना चाहता है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 को जरियें स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नो[illegible] किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 3 से 9 प्रकरण में अनु[illegible] पेश करना जाहिर किया।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख प्रस्तुत किये। व साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.03 17:33:55 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैराकार की बहस पर मनन किया गया। ग्राम भटियानी के हाल खसरा नम्बर 2815/0.30, 2816/0.20, 2817/1.02, 2818/0.80 की आराजी में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 3 से 9 तथा घीसा पुत्र मांगीलाल की सह खातेदारी की है। उक्त आराजी का विभाजन नही हुआ है। वादीगण स्वयं उक्त आराजी को पुश्तेनी मानते है, तथा प्रतिवादी संख्या 1 जो आराजी मुतनजाा का सहखातेदार है के विरूद्व स्थायी निषेघाज्ञा का अनुतोष चाहते है। आराजी मुतनाजा का विभाजन नही हुआ है। सह खातेदारी की आराजी पर प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच भूमि पर हक व अधिकार निहित है। वादीगण ने अपने वाद में विभाजन का अनुतोष नही चाहा है। बिना विभाजन के सह खातेदार को पाबंद किया जाना न्यायोचित नही है। वादीगण ने अपने वाद में 1/2 हिस्से के खातेदार घीसा पुत्र मांगीलाल/वारिस को पक्षकार भी नही बनाया है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है। प्रतिवादी संख्या 1 रेकार्डेड खातेदार है तथा भूमि पर अजनबी नही है। उसके द्वारा आराजी मुतनाजा पर क्या व किस प्रकार दखलदांजी की जा रही है ? यह भी वादीगण ने साक्ष्य से स्पष्ट नही किया है। स्थायी निषेघाज्ञा का वाद मौखिक साक्ष्य से वादीगण को सिद्व करना था किन्तु उनके द्वारा प्रकरण में साक्ष्य पेश नही कर सीधी बहस की गयी है। प्रतिवाद संख्या 1 सह खातेदार होने से वादीगण स्थायी निषेज्ञाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नही है।

उक्तानुसार ग्राम भटियानी के हाल खसरा नम्बर 2815/0.30, 2816/0.20, 2817/1.02, 2818/0.80 की आराजी वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.03 17:33:55 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

हीरा बनाम महेन्द्र

दावा बाबत :– 88, 188, 92ए राज. का. अधि0 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर – 73/2019
पेश करने की दिनांक – 27.06.19

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुददई अभिभाषक राज0 पैरोकार मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि :–

ग्राम भटियानी के हाल खसरा नम्बर 2815/0.30, 2816/0.20, 2817/1.02, 2818/0.80 की आराजी वादीगण का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस भुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 1 माह 7 सन् **2024** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2024.07.03 17:33:55 IST
Reason: SelfAttested